राजस्थान–सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान

"कर–भवन" अजमेर

क्रमांकः एफ–7(60)जन/11–12/ 1840 – 2370 दिनांक : 13/1/14

1. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक),
   जयपुर।
2. समस्त उप महानिरीक्षक,
   पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
   राजस्थान
3. समस्त उप पंजीयक (पूर्णकालीन एवं पदेन),
   राजस्थान।

विषय : लीज एग्रीमेन्ट में भविष्य में चुकाये जाने वाले ब्याज को मुद्रांक शुल्क के प्रयोजनार्थ प्रतिफल राशि में सम्मिलित कर महालेखाकार जाँच दल द्वारा बनाये गये आक्षेप के संबंध में मार्गदर्शन।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उप पंजीयक, भिवाड़ी द्वारा अपने पत्रांक 641 दिनांक 10.12.12 से विभाग को अवगत कराया गया कि महालेखाकार जाँच दल द्वारा उनके यहाँ पंजीकृत लीजडीड में भविष्य में अर्जित/देय ब्याज राशि को स्टाम्प शुल्क के प्रयोजनार्थ मानते हुए आक्षेपों का गठन किया गया है।

विभाग द्वारा इस बिन्दु पर राज्य सरकार से मार्गदर्शन माँगा गया। राज्य सरकार द्वारा अपने पत्रांक प.2(1)वित्त/कर/2013 दि. 02.01.14 से दिये गये मार्गर्शन का उद्धरण निम्न प्रकार है :–

"उप पंजीयक, भिवाड़ी के कार्यालय में पंजीकृत प्रश्नगत लीजडीड पर महालेखाकार जांच दल द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(60)वित्त/कर/2010–80 दिनांक 19.08.10 के अनुरूप ही आक्षेप लगाया गया है जो उचित है।

अतः निर्देशानुसार निवेदन है कि ऐसे प्रकरणों में जहां ब्याज प्रतिफल का भाग हो वहां ब्याज राशि पर भी अधिसूचना क्रमांक एफ. 2(60)वित्त/कर/2010–80 दिनांक 19.08.10 के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी देय बनती है।

अतः महालेखाकार जांच दल के आक्षेपों के अनुसार इन प्रकरणों में तथा अन्य समान प्रकरणों में जहां ब्याज प्रतिफल का भाग हो चाहे ब्याज भविष्य में अर्जित/देय हों, वहां ब्याज राशि पर भी स्टाम्प ड्यूटी देय है।"

अतः वित्त विभाग के उपरोक्त उल्लेखित पत्र दिनांक 02.01.14 के संदर्भ में निर्देश दिये जाते है कि महालेखाकार जाँच दल के आक्षेपों के अनुसार प्रश्नगत प्रकरणों में तथा अन्य समान प्रकरणों में जहां ब्याज प्रतिफल का भाग हो, चाहे ब्याज भविष्य में अर्जित/देय हो, वहां ब्याज राशि पर भी स्टाम्प ड्यूटी वसूल करने की कार्यवाही करें।

भ व दी य,

(रेणु जयपाल)
अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः एफ-7(60)जन/11-12/ 2371-72 दिनांक : 13/1/14

प्रतिलिपि :-

1. शासन उप सचिव, वित्त (राजस्व) को पत्रांक प.2(1)वित्त/कर/2013 दि. 02.01.14 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित्त भवन, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(रेणु जयपाल)
अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर